कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में ₹ 772.08 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सेवा कर पर 178 लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने दिसम्बर 2014 तक ₹ 477.22 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं और ₹ 130.29 करोड़ की वसूली सूचित की थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत है:

अध्याय **I:** राजस्व विभाग - सेवा कर

- सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व वि व 10 में 3.79 प्रतिशत से वि व 14 में 4.41 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इसी अवधि में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व 0.9 प्रतिशत से 1.36 प्रतिशत तक बढ़ गया।

(पैराग्राफ 1.4 तथा 1.5)

- बकाया की वसूली में सुधार करने के लिए विभाग द्वारा आरंभ किए गए उपायों को कोई प्रभाव नहीं हुआ है। वि व 14 में बकाया संग्रहण वि व 13 में 11.40 प्रतिशत की तुलना में 3.12 प्रतिशत तक तेजी से कम हो गया है।

(पैराग्राफ 1.12)

- समीक्षा तथा सुधार के लिए एसीईएस द्वारा चिन्हित 89 प्रतिशत से अधिक विवरणियां सुधार कार्रवाई के लिए लंबित थीं।

(पैराग्राफ 1.14.1)

- ₹ 31,000 करोड़ से अधिक सेवा कर निहितार्थ वाले न्यायनिर्णय मामले 31 मार्च 2014 को अन्तिमीकरण को लंबित थे।

(पैराग्राफ 1.15)

- वि व 14 में लंबित प्रतिदाय दावों की संख्या वि व 13 के 7906 की तुलना में 8154 तक बढ़ गए हैं, तथापि उसी अवधि के दौरान प्रतिदाय दावों में लम्बित राशि ₹ 37,387 करोड़ तक कम हो गई है।

(पैराग्राफ 1.16)

- 45 प्रतिशत से अधिक श्रेणी 'क' सेवा कर निर्धारिती जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर विभाग द्वारा अनिवार्य लेखापरीक्षा हेतु देय थे, वि व 14 के दौरान अलेखापरिक्षित रह गए।

(पैराग्राफ 1.18)

अध्याय **II:** बीमा क्षेत्र में सेवा कर देयता

- बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप ₹ 252.40 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 2.5.3)

- बीमा सहायक सेवाओं पर प्रतिलोम प्रभार के अन्तर्गत ₹ 7.05 करोड़ के सेवा कर की गैर अदायगी देखी गई थी।

(पैराग्राफ 2.6.1)

अध्याय **III:** बन्दरगाह क्षेत्र में सेवा कर देयता

- ₹ 204.88 करोड़ के राजस्व वाले 43 मामलों में वसूली कार्यवाइयां अभी भी आरंभ की जानी थीं जहॉं अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्थगन नहीं दिया गया था और जहॉं स्थगन दिया गया था वहॉं 180 दिनों से अधिक समय स्थगन देने के बाद व्यतीत हो गया था।

(पैराग्राफ 3.5.4)

- बन्दरगाह में किराया आय पर ₹ 33.85 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान दो मामलों में देखा गया था।

(पैराग्राफ 3.6.1)

अध्याय **IV:** मण्डल पालक की सेवाओं से संबंधित सेवा कर देयता

- एक मामले में ₹ 1.07 करोड़ का सेवा कर संग्रहीत था परन्तु जमा नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.4.2.6)

- स्थानीय निकायों द्वारा पंजीकरण न कराने के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 4.4.3.1)

अध्याय **V:** सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा

- 40 प्रतिशत से अधिक देय विवरणियां चयनित कमिश्नरियों में प्राप्त नहीं हुई थीं परन्तु लेखापरीक्षा के बताए जाने तक दाखिल न कर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 5.4.1(i))

- एसीईएस ने विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की सूची नहीं बनाई। इसके अलावा 121 विवरणियां जो प्राप्त कुल विवरणियों का केवल 0.1 प्रतिशत है, चयनित कमिश्नरियों में विस्तृत संवीक्षा की गई थीं।

(पैराग्राफ 5.4.3)

अध्याय **VI:** नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

- लेखापरीक्षा में ₹ 128.25 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सेवा कर की गैर अदायगी/कम अदायगी, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना/उपयोग और विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान न करना के उदाहरण देखे गए।

(पैराग्राफ 6.1)

अध्याय **VII:** आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा/आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमियां, कारण बताओ नोटिस देरी से जारी करना आदि देखे गए जिनमें ₹ 179.69 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहितार्थ था।

(पैराग्राफ 7.2)